61

संख्या 1362/XVIII(II)/2012–18(26)/12

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार ।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 07 दिसम्बर, 2012

विषयः– सिविल कोर्ट,लक्सर जिला हरिद्वार में न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 0.195 है0 भूमि न्याय विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं0–1612/भूमि व्यवस्था–2012 दिनांक–19.05.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, सिविल कोर्ट, लक्सर जिला, हरिद्वार में न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित ग्राम लक्सर परगना मंगलौर में ग्राम समाज की भूमि खसरा संख्या– 4 रकवा 0.021 है0, खसरा संख्या–6 रकवा 0.010 है, खसरा संख्या–7 रकवा 0.133 है0 तथा खसरा संख्या–19 रकवा 0.031 है0 कुल 0.195 है0 भूमि, वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–2–2002 में निहित प्राविधानों एवं न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है/तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

8– भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में धारा–132 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में दिये गये निर्णय का भी संज्ञान लिया जाय।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीध्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0संख्या–1362(1)/समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
4– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय देहरादून।
5– प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।